राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226002
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 5034/241/एनयूएलएम/तीन/2001/(SUSV)-CSVP दिनांक 08-11-2019

सेवा में,

सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण,
शहर–लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या, मथुरा–वृन्दावन, मुज्जफरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, जौनपुर, सम्भल, मैनपुरी, हाथरस, रामपुर, शामली, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), एटा, कासगंज, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुल्तानपुर, देवरिया, बदायूॅ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर।

जारी
8-11-2019

विषयः शहरी पथ विक्रेताओं को स्मार्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–K-12017(15)/3/2017-UPA-III Section (EFS-3144547) दिनांक 28.10.2019 द्वारा सभी सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं को स्मार्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

उक्त के संबंध में उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के प्राविधानों के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु सूडा के पत्रांक–1134 दिनांक 05.06.2018 के माध्यम से आई कार्ड का प्रारुप जारी किया गया था।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से शहरी पथ विक्रेताओं को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराये जाने का प्रारुप उपलब्ध कराया है, जिसके अनुसार सभी सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं को चिप/क्यू आर/बार कोड, DAY-NULM का लोगो आधारित स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराये जाने है। स्मार्ट कार्ड में आधार नम्बर को वैकल्पिक (Optional) रखा गया है। चिप/क्यू आर/बार कोड आधारित स्मार्ट कार्ड को एक वेबसाइट से लिंक किया जायेगा ताकि कार्ड की सूचना को कोड की स्कैनिंग के द्वारा पथ विक्रेता की पहचान में मदद् मिले।

पत्रांक–1134 दिनांक 05.06.2018 के माध्यम से जारी आई कार्ड के प्रारुप में सूचनाए समान रहेगी, जिसमें चिप/क्यू आर/बार कोड, DAY-NULM का लोगो, आधार नम्बर (वैकल्पिक), पथ विक्रेता की यूनीक आईडी को अनिवार्य रुप से सम्मिलित किया जाये। जिन पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किये जा चुके है उनको वर्तमान पहचान पत्र की वैधता समाप्ति पर पुनः स्मार्ट कार्ड जारी किये जाये।

शहरी पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं आई कार्ड उपलब्ध कराया जाना शासन के प्राथमिकता कार्यक्रम में सम्मिलित है, जिसकी शासन एवं भारत सरकार स्तर पर निरन्तर

अनुश्रवण एवं समीक्षा की जा रही है। अतः उपरोक्तानुसार शहरी पथ विक्रेताओं को एजेन्सी के माध्यम से स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

o/c (उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव (एनयूएलएम), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण को इस अनुरोध से प्रेषित कि संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध रुप से कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
5. संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि संबंधित नगर निकाय के साथ समन्वय करते हुए स्मार्ट कार्ड तैयार कराकर वितरण कराना सुनिश्चित करें।
6. चयनित सभी एजेन्सियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित डूडा एवं नगर निकाय से सम्पर्क करते हुए प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट कार्ड तैयार कर डूडा/नगर निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. सहा0 वेब मास्टर, सूडा, को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

o/c (उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

File No.K-12017(15)/3/2017-UPA III SECTION (EFS- 3144547)
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
(UPA-II Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 28th October, 2019

To

Mission Directors, SULM
All States/UTs

Subject: - Issuance of Smart Identity Cards to all the Surveyed Street Vendors- regarding

Sir/Madam,

Please refer to the clause 4 of Operational Guidelines of SUSV which provide about the methodology for conducting the survey of street vendors and issuing of ID cards to identified street vendors. It also provides that Identity cards issued to the street vendors can act as sufficient documentation for opening of their bank accounts, getting loans from banks, accessing social benefits etc.

2. In this regard, I am directed to convey that while some States are issuing Smart Chip, QR and bar code based cards, others are issuing ID cards displaying just the most basic details. The Smart Chip, QR and bar code based cards are linked to a web-site so that the information on the Card can be accessed by scanning the code by municipal/regulatory authorities, thereby helping in identification of the vendor. Owing to linking of QR code with website, additional information can be added and accessed at a later stage as well. The Bar Code on the Card can also be read through a Bar Code Reader which recognizes the ID number of the street vendor.

3. Therefore, the use of such smart cards, with core information stored/accessible through electronic means may be beneficial in enabling data gathering, storage, verification and also linking to other purposes. Based on the above mentioned facts, this Ministry has prepared a sample of the SMAT ID Card, along with the details to be displayed on the card and those to be captured in the chip/QR/Bar codes.

4. Further the ID card issued to the identified street vendors must display the logo of the Mission. The sample is enclosed herewith for reference.

5. The broad scope of work, output and deliverables mentioned above are only indicative and given for facility of reference. Each State/ULB may customize as per their requirements and use all or any one or two of the Bar Code, QR Code and Chip appropriately. It is advised that the suggested format may be used for issue of SMART card to all street vendors. However if some of the street vendors have already been issued the ID Cards other than SMART card, they may re-issue the SMART at the next cycle of survey/expiry of the present ID card.

Yours faithfully,

Encl: As above

28/10/2019

(Surender Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23061185

Samples of Card

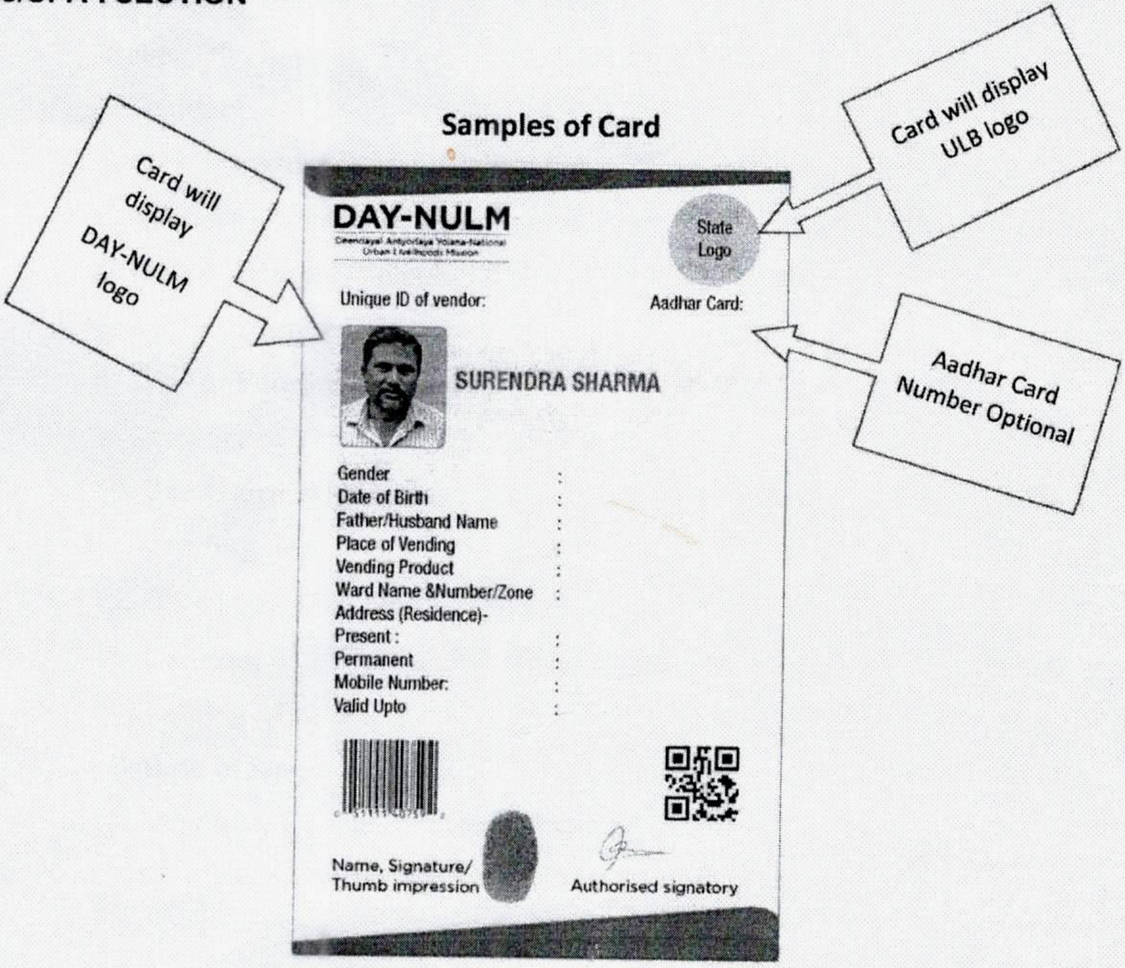

Vertical Sample

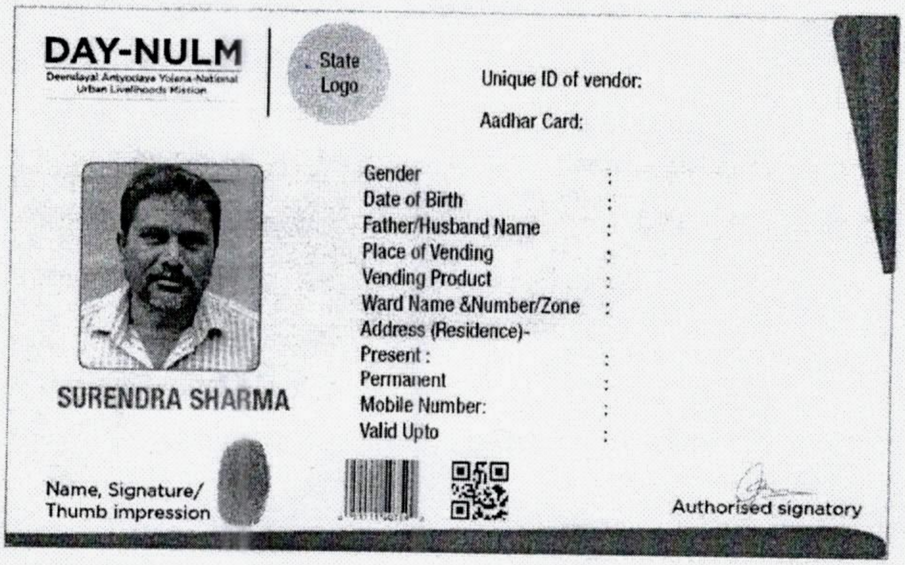

Horizontal Sample

Information to be captured in SMART ID Card Chip/QR Code/Bar

1. Name of Vendor
2. Age
3. Gender
4. Son/Daughter/Wife/Husband of
5. Address (Present) & (Permanent)
6. Mobile Number/Telephone
7. Aadhar number (Optional)
8. Type of Vending/Business:
9. Category of Vendor: Mobile/Stationary
10. Site/Place of Vending:
11. Vending Zone
12. GPS Code, Geo Fence Activity
13. Certificate of Vending No:/Registration No:
14. Validity of ID Card:
15. Date of Issue:
16. Details of Family members above 14 years:
17. Photograph with Signature/Thumb Impression

Information to be displayed on the SMART Card

1. Name of Vendor
2. Age & Gender
3. Address (Present)
4. Mobile Number/Telephone
5. Type of Vending/Business:
6. Site/Place of Vending:
7. Vending Zone
8. Certificate of Vending No:/Registration No:
9. Date of Issue:
10. Photograph with Signature/Thumb Impression